न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,टोंक

पीठासीन अधिकारी– रामरतन सौकरिया
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
02 / 2024 / प्रा.पत्र / 2024	01.02.2024	06.12.2024

सत्यनारायण गूर्जर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक कार्यालय जिला खाद्य सुरक्षा व औषधि नियंत्रण, टोंक राज0।

............प्रार्थी

बनाम

1–श्री धर्मेन्द्र सबनानी पुत्र श्री मुरलीधर सबनानी निवासी गली नं. 6 सिन्धी कॉलोनी झिलाई रोड निवाई जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स मुरलीधर एण्ड सन्स बिलाला मार्केट के पास सब्जी मण्डी निवाई जिला टोंक। पिनकोड–304021 मोबाईल नं. 9214976270

2–मैसर्स मुरलीधर एण्ड सन्स बिलाला मार्केट के पास सब्जी मण्डी निवाई जिला टोंक। पिनकोड–304021

3–श्री सुनिल कुमार जैन पुत्र श्री महावीर प्रसाद जैन निवासी वार्ड नं0 5 सब्जी मण्डी के पास निवाई जिला टोंक राज0 प्रबंधक मैसर्स सुरेश चन्द सुनिल कुमार जैन कृषि मण्डी के सामने एचडीएफसी बैंक के पास निवाई जिला टोंक राज0। पिनकोड–304021

4–मैसर्स सुरेश चन्द सुनिल कुमार जैन कृषि मण्डी के सामने एचडीएफसी बैंक के पास निवाई जिला टोंक राज0। पिनकोड–304021

5–श्री दिलीप सिंह पुत्र श्री दशरथ सिंह निवासी रघुनाथ जी का चौक, खाण्ड गावडी, कोटा प्रोपरायटर मैसर्स बाल गोपाल डेयरी प्रोडक्ट्स एफ–280, राणपुर रीको इण्ड. एरिया, कुबेर इण्ड. एरिया एक्सटेंशन, इण्डस्ट्रीज एरिया राणपुरा कोटा। राज0 पिनकोड–325003

6–मैसर्स बाल गोपाल डेयरी प्रोडक्ट्स एफ–280, राणपुर रीको इण्ड. एरिया, कुबेर इण्ड. एरिया एक्सटेंशन, इण्डस्ट्रीज एरिया राणपुर कोटा राज0। पिनकोड–325003

.......अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii), (V) एवं दण्डनीय धारा 51व 58 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित–

1–पेरोकार सरकार।

2–अप्रार्थीगण की ओर श्री धर्मेन्द्र सबनानी एवं सुनील कुमार जैन उपस्थित।

:–निर्णय–: **दिनांक 06.12. 2024**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनाक 09.05.2023 को समय 03:00 पी.एम.पर मैसर्स मुरलीधर एण्ड सन्स बिलाला मार्केट के पास सब्जी मण्डी निवाई जिला टोंक पर पहुंचा। वहां खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रता के हैसियत से श्री धर्मेन्द्र सबनानी पुत्र श्री मुरलीधर सबनानी अपने प्रतिष्ठान मैसर्स मुरलीधर एण्ड सन्स बिलाला मार्केट के पास सब्जी मण्डी निवाई पर खाद्य पदार्थ गुड, तेल, घी, नमकीन, मसाले व अन्य खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, श्री धर्मेन्द्र सबनानी पुत्र श्री मुरलीधर सबनानी को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री धमेन्द्र सबनानी पुत्र श्री मुरलीधर

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

सबनानी ने स्वयं को प्रतिष्ठान का एकमात्र मालिक होना स्वीकार किया तथा खाद्य अनुज्ञा बिकी प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विकय हेतु दुकान में गुड, तेल, घी, मसाले व अन्य खाद्य पदार्थ के साथ–साथ दुकान की कार्टून में पैक्ड अवस्था में प्रत्येक नग 1–1 लीटर पैक **घी(ग्वाल कृष्ण ब्राण्ड)** रखा हुआ था जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर विकेता श्री धर्मेन्द्र सबनानी पुत्र श्री मुरलीधर सबनानी को गवाह के सामने फार्म नं0 5ए में वास्ते नमूना जांच कय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रशीद प्राप्त की जिस पर खाद्य कारोबारकर्ता श्री धमेन्द्र सबनानी गवाह के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक ने हस्ताक्षर मय मोहर किये तथा एक प्रति विकेता को सुपुर्द कर बताकर कि यह **घी(ग्वाल कृष्ण ब्राण्ड)** वास्ते नमूना जांच कय किया जा रहा है, दुकान के गोदाम में 1–1 लीटर **घी(ग्वाल कृष्ण ब्राण्ड)** के बेंच नं0 05 एवं पैंकिग की दिनांक मार्च,.2023 थी में से पैक्ड अवस्था में 1–1 लीटर के 4 मूल वास्ते नमूना जांच खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **घी(ग्वाल कृष्ण ब्राण्ड)के** 1–1 लीटर के 4 मूल पैक को ज्यों का त्यों नियमानुसार चार भाग तैयार कर नियमानुसार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया प्रत्येक लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं कमांक आई–3613 दर्ज कर, विकेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–3613 नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया एवं मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला राज0 जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

श्री धमेन्द्र सबनानी पुत्र श्री मुरलीधर सबनानी ने मौके पर बतौर वारन्टी कोई खरीद बिल प्रस्तुत नही किया। जिसके कम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने पत्र कमांक एफएसएसए/2023/715 दिनांक 19.07.2023 बतौर वारन्टी बिल खरीद चाहा गया जिसके प्रतिउत्तर में उक्त फर्म के व्यवहारी ने बतौर वारन्टी मैसर्स सुरेश चन्द सुनिल कुमार जैन कृषि मण्डी के सामने एचडीएफसी बैंक के पास निवाई जिला टोंक का बिल प्रस्तुत कर कय करना बताया। मैसर्स सुरेश चन्द सुनिल कुमार जैन से वारन्टी बिल चाहे जाने पर बतौर वारन्टी मैसर्स बाल गोपाल डेयरी प्रोडक्टस एफ–280 राणपुरा इण्डस्ट्रीज एरिया कोटा का बिल प्रस्तुत कर कय करना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र कमांक एफएसएसए/2023/3109 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोर्ट सं. एलएस/1983/एक्ट/2023/2014 दिनांक 31.05.2023 के अनुसार विकेता से वास्ते नमूना जांच कय किया गया **घी(ग्वाल कृष्ण ब्राण्ड)**

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम व विनियम 2011 के अनुसार **अवमानक (Sub-Standard)** व रेगुलेशन नं0 2.3.7(2) के अनुसार **कॉन्ट्रावेन (Contravene)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेता के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर श्री धर्मेन्द्र सबनानी एवं सुनील कुमार जैन उपस्थित हुए एवं निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट नहीं की गई है। यह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी मानकों को पूरा करता है। उक्त घी में किसी प्रकार से बाह्य पदार्थ नहीं मिलाया गया है। यह मानव उपयोग के लिए किसी तरह हानिकारक नहीं है। उक्त घी निर्माता फर्म से हम पैंकिग अवस्था में ही क्रय करके उसी अवस्था में विक्रय हेतु रखा हुआ था एवं निर्माता फर्म ने हमें उक्त घी बिलकुल शुद्ध होना बताया था। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावें।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **घी (ग्वाल कृष्ण ब्राण्ड)** का विक्रय कर रहे थे, उसमें Foreign Fat उपस्थित मिला है। वह जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** एवं **कॉन्ट्रावेन (Contravene)** स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 58(सहपठित धारा 49) में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अप्रार्थी एवं पेरोकार सरकार की बहस को सुना एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **घी(ग्वाल कृष्ण ब्राण्ड)**का नमूना जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** एवं **कॉन्ट्रावेन (Contravene)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii), (v) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 व 58 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। चूंकि अप्रार्थी सं0 1 से 4 ने निर्माता फर्म से पैक्ड अवस्था में खरीदा था एवं उक्त फर्म का बिल प्रस्तुत किया है इसलिए अप्रार्थी सं0 1 से 4 को दोष मुक्त किया जाता है। अप्रार्थी सं0 5 व 6 के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी सं0 5 व 6 पर कुल शास्ति रूपये 1,00,000/– (अक्षरे एक लाख रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 06.12.2024 से एक माह के अन्दर अनिवार्य रूप से जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06/12/24 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(रामरतन सौकरिया)
न्यायनिर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0